236

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ::

क्रमांकः– गो.प्र. / ए.सी.आर. / 2011–12 / परिपत्र / 39914–40030 दिनांकः 5/3/12

––: परिपत्र :––

वित्तीय वर्ष 2011–12 समाप्त होने वाला है। अतः आपके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति राज्य सरकार एवं महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशानुसार की जानी है।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको इस परिपत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आपने अधिनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों के गोपनीय समय सारणी अनुसार आवश्यक रूप से पूर्ति करावें।

गोपनीय प्रतिवेदन एवं ऐसा महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसके आधार पर कर्मचारियों / अधिकारियों के चयनित वेतनमान / पदौन्नति / स्थाईकरण आदि के प्रकरण निस्तारित होते है तथा समय पर उक्त अभिलेख की पूर्ति न हो पाने के कारण इन कार्यो में अनावश्यक विलम्ब होता है।

यह भी खेद का विषय है कि मुख्यालय / संबंधित कारागृहो / कार्यालयों द्वारा कई अधिकारियों को बार–बार स्मरण कराने के उपरान्त भी गोपनीय प्रतिवेदन समय पर पूर्ण करवाकर नहीं भिजवाये जाते है, जो आपकी कार्यदक्षता पुर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यही नही इस कार्य में विलम्ब के कारण राज्य कार्यो में विलम्ब होता हैं। संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को भी सेवालाभ समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण असंतोष उभरता है।

अतः आप अपने संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों की पूर्ति यथावत जारी किये गये दिशा निर्देशो एवं समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर प्रभावी कार्यवाही करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत ध्यान देकर पूर्व के बकाया प्रतिवेदनों की पूर्ति जो कि आप द्वारा / अन्य अधिकारी द्वारा की जानी है, वह भी पूर्ति करवाकार यथासमय (जो प्रतिवेदन जो भिजवाना है) भिजवाने का ध्यान रखें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के डिपार्टमेन्ट ऑफ पर्सनल(ए–1 / ए.सी.आर.) के परिपत्र क्रमांक एफ. 13 (51) डी.ओ.पी. / ए–1 / ए.सी.आर. / 08 दिनांक 5.6.08 के द्वारा इस वर्ष 2011–12 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति उक्त परिपत्र के अनुसार की जावे।

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– निजी सचिव, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
2– निजी सहायक, अति.महानिदेशक, कारागार राजस्थान,जयपुर।
3– निजी सहायक,उपमहानिरीक्षक कारागार रेन्ज– जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।
4– मुख्य लेखाधिकारी,महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
5– सहायक विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
6– कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
7– अधीक्षक(उद्योग)कारागार,महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
8– उपाधीक्षक,(भण्डार / सामान्य शाखा / सु.का.अ. / भवन / कम्प्यूटर), महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर।
9– अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उपकारागृह,राजस्थान।
10–प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर।
11–प्रभारी,किशोर बंदी सुधार गृह,अजमेर।
12–उपाधीक्षक,महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर / जोधपुर।

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर